

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 64/2018 वाद

दलीचन्द बैरागी

// बनाम //

हीरादास बैरागी व अन्य

वाद अर्न्तगम धारा 53,88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 24.06.2020

वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। तथा प्रतिवादी नं0 1 हीरादास भी अपना काउन्टर क्लेम इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराने में अपनी सहमति प्रदान की। प्रतिवादी नं0 1 ने अपना काउन्टर क्लेम खारिज कराने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी। वादी का वाद विद्वा एवं प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार वादी का वाद एवं प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

